प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated.19|12|18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.060** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction of 100 m span Motor Bridge over Mandakini River at chandrapuri Gabnigaon to connect Haat Basti Motor Road to NH - 107** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Gabnigaon** villages in ***Ukhimath*** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.060** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

District Magistrate
Rudraprayag

प्रपत्र-30.1

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Mangesh Ghildiyal** District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 19/12/2018... at time 12:30... in **Rudraprayag** in which application claiming rights in Forest area measuring **0.060 hectare** for the **Construction of 100 m span Motor Bridge over Mandakini River at chandrapuri Gabnigaon to connect Haat Basti Motor Road to NH - 107** in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ukhimath Tehsil** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.

District Magistrate Cum-Chairman
Disrict Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.

District Magistrate
Rudraprayag

प्रारूप 30.2

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग
अनुसुचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड़ स्तरीय समिति रूद्रप्रयाग

उपखण्ड़ रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है०** राज्य भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय समिति, (तहसील–ऊखीमठ) की दिनाँक...18/12/2018....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–
अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री...गोपाल सिंह चौहान.............उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री...गोपाल सिंह चौहान......उपजिलाधिकारी ऊखीमठ..........अध्यक्ष
2- श्री...[illegible].......उपप्रभागीय वनधिकारी..........रूद्रप्रयाग..........सदस्य
3- श्री...[illegible].......सहायक समाज कल्याण अधिकारी..........अगस्त्यमुनि.....सदस्य/सचिव
4- श्री...मती प्रमिला देवी..........क्षे०पं० / वार्ड सदस्य/ प्रमिला देवी कण्डारा......सदस्य

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है०** राज्य भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी ......रूद्रप्रयाग..........द्वारा अनुसुचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम / नगर पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड़ ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है०** राज्य भूमि का लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्रधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रमिला देवी
क्षे०पं० / वाई सदस्य
(प्रमिला भण्डारी) सदस्य
क्षेत्र पंचायत-कण्डारा
खं.अगस्त्यमुनि,जनपद रुद्रप्रयाग

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड अगस्त्यमुनि

उपप्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – ऊखीमठ, जनपद – रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – ऊखीमठ, जनपद - रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - गबनी गाँव

तहसील - ऊखीमठ, जिला – रूद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड़ में जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० राज्य वनभूमि का लो0नि0वि0 के पक्ष मे भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20 / 11 /**2018** को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा आवेदित राज्य भूमि के संम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित राज्य भूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राज्य भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित राज्य भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गबनी गाँव के ग्रामवासियों को उक्त राज्य भूमि उक्त परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

सरपंच

प्रधान
ग्राम पंचायत

प्रपत्र-30.4

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

दिनांक 20 / 11 /2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – गबनी गाँव

क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	श्री बैशाख सिंह नेगी	बैशाख सिंह
2	श्रीराम लाल (सरपंच)	[signature]
3	श्री उमेश प्रसाद (उपप्रधान)	उमेश प्रसाद
4	श्री सुदामा लाल	सुदामा लाल
5	श्री भजन सिंह	[signature]
6	श्री त्रिलोक सिंह भंडारी	[signature]
7	श्री जगत सिंह नेगी	
8		
9		
10		

सरपंच

प्रधान
ग्राम पंचायत